प्रेषक,

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
बरेली।

सेवा में,

डायरेक्टर/प्राचार्य एवं समस्त शिक्षण संस्थान
बरेली।

विषयः दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2019–20 में जिन पाठ्यक्रमों का परीक्षा परिणाम घोषित नही हुआ ऐसे छात्र/छात्राओं का डाटा ऑनलाइन अग्रसारित किये जाने के सम्बन्ध में।

पत्रांक 76 /पिव0क0/2019–20 दिनॉक 08/08/2019

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण उ0प्र0 लखनऊ ने अपने पत्र सं0 1027 दिनॉक 07 अगस्त, 2019 द्वारा अवगत कराया है कि शैक्षिक सत्र 2019-20 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन किये गये आवेदनों को सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं के स्तर से ऑनलाइन अग्रसारित किया जा रहा है। नियमावली के प्राविधानों के अनुसार छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने के उद्देश्य से अभिलेखों में कूट रचना/हेराफेरी करके छात्र/शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने एवं शिक्षण संस्थान द्वारा फर्जी आवेदन सत्यापित/अग्रसारित किये जाने पर शिक्षण संस्थानों को काली सूची में डाले जाने तथा मान्यता निरस्त कराये जाने का प्राविधान है। संज्ञानित हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2019–20 में अभी तक कतिपय पाठ्यकमों (बी0टी0सी0 प्रथम वर्ष, ए0एन0एम0/जी0एन0एम0, डी0एड0 स्पेशल एजूकेशन, बी0एड0 एवं आई0टी0आई0 आदि) का परीक्षा परिणाम घोषित नही हुआ है, छात्रों द्वारा उक्त पाठ्कमों में ऑनलाइन आवेदन कर दिया जा रहा है।

उक्त के कम में आप अपनी संस्था के छात्र/छात्राओं का डाटा ऑनलाइन अग्रसारित करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लें, कि जिन छात्र/छात्राओं का डाटा आप द्वारा सत्यापित कर ऑनइान अग्रसारित किया जा रहा है, उस पाठ्यकम का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है अथवा नही। अतः जिन पाठ्यकमों का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया हो उन्हीं छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्रों को उसमें भरी गयी समस्त प्रविष्टियों का अभिलेखों आदि से पुष्टि करने के उपरान्त ही सत्यापित कर ऑनलाइन अग्रसारित किया जाये तथा जिन पाठ्यकमों का परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित नही हुआ है, ऐसे छात्रों का डाटा कदापि अग्रसारित न किया जाये।

निदेशालय की लॉगिन पर उपलब्ध विवरण के अनुसार जितने छात्र/छात्रओं द्वारा छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन फाइनल रूप से सबमिट किए गये है, उसके सापेक्ष शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन रिसीविंग/अग्रसारण की संख्या अत्यन्त न्यून है। अतः आप अपने संस्थान के छात्रों द्वारा फाइनल रूप से सबमिट किये गये आवेदनों को ऑनलाइन रिसीव करते हुए उसका परीक्षणोपरान्त

Nodal Officer Scholarship
Pandey 8/8/19
कुलसचिव

R-Gautam (Web-Admin)
Kindly put it on University website
14.8.19

UNIVERSITY NODAL OFFICER
(Scholarship & Fee Reimbursement)
MJP Rohilkhand University
Bareilly (U.P.)

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwDqfDKvCtNzpTDWMxJqfHDsTDx?projector=1&messagePartId=0.1

सही आवेदन पत्रों को बेरीफाई करते हुए ऑनलाइन अग्रसारित कर दिया जाय तथा त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण ओवदनों का शिक्षण संस्थान स्तर से ही रिजेक्ट कर दिये जाये।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कढ़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(प्रेम प्रकाश)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
बरेली।

पत्रांक /पि०व०क०/2019–20 दिनॉक

प्रतिपिलि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी महोदय, बरेली।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बरेली।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
बरेली।